न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

फौजदारी प्रकरण सख्या
08 / 2023

सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, अजमेर

– प्रार्थी

ब ना म

श्री मुकेश पुत्र श्री राजू, जाति मोची, निवासी छीपों का मौहल्ला रूपनगढ, पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर

– गैरसायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थित–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी अजमेर।
2. श्री एजाज अहमद गैर सायल की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–26.06.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर द्वारा एक इस्तगासा पुलिस अधीक्षक अजमेर के माध्यम से जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, अजमेर के श्री मुकेश पुत्र श्री राजू, जाति मोची, निवासी छीपों का मौहल्ला रूपनगढ, पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का दिनांक 12.10.2023 को इस आशय का पेश किया कि गैरसायल अवैध जुआ सट्टा खेलने का आदी है एवं झगड़ा करता है। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना रूपनगढ में मुकदमा संख्या 64 / 2016 दिनांक 05.06.2016, मुकदमा संख्या 97 / 2019 दिनांक 29.05.2019 एवं मुकदमा संख्या 157 / 2019 दिनांक 23.07.2019 दर्ज हुये है। ऐसे व्यक्ति न केवल परिवार एवं समाज के लिए अपितु राज्य के लिए खतरनाक एवं संकट उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति की निगरानी एवं नियंत्रण रखा जाना अपिरहार्य है ताकि क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं गुण्डा तत्वों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही हो सकें। इस प्रकार गैरसायल द्वारा धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 में परिभाषित धारा "ख" (2) की उपधारा 3 के अधीन इस्तगासा प्रस्तुत कर गैरसायल के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

गैरसायल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व गैरसायल को प्रपत्र–1 में नोटिस जारी किया गया कि वे न्यायालय में उपस्थित होकर अपने आरोपों के बारे में लिखित स्पष्टीकरण पेश करें व वजह जाहिर करे कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत उनके विरूद्ध आदेश क्यों नहीं दिया जावे।

गैरसायल जरिये वकील उपस्थित हुये। गैर सायल की ओर से वकील गैर सायल द्वारा उनके बयान दर्ज नहीं करवाने पर शहादत बन्द की जाने के पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। दोनो पक्षकारों की शहादत बन्द होने पर बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान कथन किया कि दस्तावेजी सबूत से बखूबी साबित होता है कि गैरसायल सट्टे की खाईवाली कर जुआ खेलने का आदी है। ए.पी.ओ. ने बहस के दौरान कथन किया कि गैरसायल को वर्ष 2016 व 2019 में 03 बार 13 आर0पी0जी0ओ0 के अधीन दण्डित किया जा चुका है। गैरसायल वर्तमान में भी अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है तथा आपराधिक गतिविधियों का आदी होने से समाज में भय व्याप्त ह तथा कोई भी व्यक्ति भयवश गैर सायल के विरूद्ध रिपोर्ट नहीं करता है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि गैरसायल को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 के तहत अजमेर जिले से निष्कासित किया जावे।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में गैरसायल का कथन है कि इस्तगासे में वर्णित प्रकरण पूर्व के हैं। वर्तमान में प्रार्थी प्राईवेट कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है व सामाजिक जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहा है। प्रार्थी को पुलिस द्वारा प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी आदतन अपराधी व सजायाफ्ता मुजरिम नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी किसी भी प्रकार के आपराधिक कृत्य में लिप्त नहीं है। उन पर लगाये गये समस्त आरोप बिल्कुल निराधार है। गैरसायल के विरूद्ध केवल 13 आर०पी0जी0ओ0 के तहत मुकदमे दर्ज किये गये थे जिसमें कोई संगीन अपराध कारित नहीं किया गया है। अन्त में उनका कथन है कि गैरसायल गत 4 वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है व किसी भी अपराध में लिप्त नहीं है। अतः गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः गैर सायल के विरूद्ध उक्त नियम के तहत कार्यवाही निरस्त कर उन्हें दोष मुक्त किया जावे।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। इस्तगासा पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि गैर सायल वर्तमान में भी अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है। इसके अतिरिक्त गैर सायल के विरूद्ध पुलिस थाना में 3 प्रकरण अन्तर्गत 13 आर0पी0जी0ओ0 के दर्ज हुये हैं जिनमें गैर सायल को दण्डित किया गया है। गैर सायल द्वारा किये गये अपराध गंभीर प्रवृत्ति के नहीं है तथा वर्ष 2019 के पश्चात् उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा न ही कोई शिकायत अथवा मुकदमा दर्ज हुआ है। चूंकि पूर्व में उन्हें 13 आर0पी0जी0ओ0 के अन्तर्गत 3 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषी करार देकर

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

दण्डित किया गया है। ऐसी स्थिति में गैर सायल की गतिविधियों पर नजर रखा जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल श्री मुकेश पुत्र श्री राजू, जाति मोची, निवासी छीपों का मौहल्ला रूपनगढ, पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर को आदेश दिये जाते है कि वे आदेश की तारीख से 15 दिवस की अवधि के लिये प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी, पुलिस गांधीनगर किशनगढ, जिला अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवावें। गैर सायल को यदि जिले से बाहर जाना हो तो थानाधिकारी, पुलिस थाना गांधीनगर किशनगढ, जिला अजमेर से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। यदि उक्त अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 2 (बी) में वर्णित प्रावधानानुसार अपराधिक मुकदमें दर्ज हो तो थानाधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावे। आदेश की प्रति गैर सायल को दी जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट अजमेर, पुलिस अधीक्षक अजमेर तथा थानाधिकारी पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गांधीनगर किशनगढ, जिला अजमेर को प्रति भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अपर कलक्टर एवं
अजमेर

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

दिनांक :

क्रमांक / सरिस्ता / अपर / 24 /

प्रतिलिपी :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
2. जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना गांधीनगर किशनगढ, जिला अजमेर
5. श्री मुकेश पुत्र श्री राजू, जाति मोची, निवासी छीपों का मौहल्ला रूपनगढ, पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर